वित्तीय स्वीकृति/आयोजनेत्तर

संख्या : 312 /XVII–03/2008–61(स0क0)/2002

प्रेषक,

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–03 देहरादून : दिनांक 11 जून, 2008

विषयः–स्वैच्छिक संस्था डा0 भीमराव अम्बेडकर समाजोत्थान समिति, बेरीनाग, जनपद– पिथौरागढ़ द्वारा संचालित प्राथमिक पाठशालाओं के वेतन आदि के भुगतान हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–3655/स0क0/स्वै0सं0–अनु0प्र0/2006–07 दिनांक 24 जनवरी, 2007 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2006–07 हेतु स्वैच्छिक संस्था "डा0 भीमराव अम्बेडकर समाजोत्थान समिति", बेरीनाग, जनपद– पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड द्वारा संचालित निम्नांकित चार प्राईमरी पाठशालाओं के अध्यापकों के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–31 के "आयोजनेत्तर पक्ष" में प्राविधानित धनराशि में से रू0 6,77,121.00 (रू0 छः लाख सतत्तर हजार एक सौ इक्सीस मात्र) की धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश संख्या : 267/XXVII(1)/2008, दिनांक 27 मार्च, 2008 के क्रम में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) प्राथमिक पाठशाला, खनात।
(2) प्राथमिक पाठशाला, सानीखेत।
(3) प्राथमिक पाठशाला, बना, बेरीनाग।
(4) प्राथमिक पाठशाला, भराड़ी।

1. उक्त धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि संस्था को तत्काल उपलब्ध करायी जाएगी।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि पूर्व निर्धारित नियमों, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय की जाएगी तथा व्यय के उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन एवं महालेखाकार उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
4. चालीस छात्रों पर एक अध्यापक की नियुक्ति की जाती है तथा प्राथमिक पाठशाला में छात्रों की कुल संख्या का 50 प्रतिशत छात्र अनुसूचित जाति/जनजाति के होने चाहिए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा वेतन आदि का भुगतान किया जाएगा। स्पष्ट है कि छात्रों के अनुपात में ही अध्यापकों का वेतन भुगतान होगा। यदि उक्त शर्त संस्था पूरी नहीं करती है तो वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा और धनराशि राजकीय कोष में जमा कर दी जायगी।

5. उक्त अनुदान तदर्थ आधार पर One Time स्वीकृत किया जा रहा है।

6. किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रक्रिया (स्टोर परचेज रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 (लेखा नियम) के आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

7. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–31 के 'आयोजनेत्तर पक्ष' के लेखाशीर्षक '2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–277–शिक्षा–07–सहायता प्राप्त पुस्तकालयों/छात्रावासों एवं प्राथमिक पाठशालाओं हेतु अनुदान–00" के मानक मद "20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता" के नामे डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या : 105(NP)(2)/XXVII(3)/2008 दिनांक 02 जून, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीया,

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 312/XVII–03/2008–61(स0क0)/2002 तद्दिनांकित :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, देहरादून।
7. कोषाधिकारी, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
8. जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड।
9. स्वैच्छिक संस्था डा0 भीमराव अम्बेडकर समाजोत्थान समिति, बेरीनाग, जनपद– पिथौरागढ, उत्तराखण्ड।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
11. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. समाज कल्याण अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
15. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।